भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2463

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

नई श्रम संहिताओं के अंतर्गत लाभ

†2463. थिरु दयानिधि मारन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें श्रम संघों द्वारा इन अधिसूचित श्रम संहिताओं को "श्रमिक विरोधी" बताते हुए इन्हें व्यापक रूप से अस्वीकार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चार नई संहिताओं को अधिसूचित करने से पहले संघों और श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ किए गए ठोस परामर्श का ब्यौरा क्या है तथा चार नई संहिताओं को अधिसूचित करने से पहले उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं;

(ग) उक्त संहिता के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है तथा कार्यान्वयन, नियम-अधिसूचना तिथियां, श्रमिकों के लिए संक्रमणकालीन सुरक्षा उपाय और सामाजिक-सुरक्षा कवरेज के लिए मानक का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता में छंटनी/बंदी के अनुमोदन के लिए सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 करने को किस प्रकार उचित ठहराया है और इसका श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा और सौदेबाजी की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है कि विशेष रूप से वस्त्र निर्माण और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में गिग, प्लेटफॉर्म, अनुबंध और अनौपचारिक श्रमिकों को नए ढांचे के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण सुविधा मिलेगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): चारों श्रम संहिताएँ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद पारित की गईं। चारों श्रम संहिताओं को पारित करने से पहले हितधारकों द्वारा की गई टिप्पणियों/व्यक्त चिंताओं को स्वीकार किया गया और उनकी जाँच की गई।

जारी/-2

चारों श्रम संहिताओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के साथ कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए गए। मंत्रालय चारों श्रम संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सहित सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है।

इसके अलावा, कामगारों के हितों की रक्षा के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में कई ठोस प्रावधान किए गए हैं। वार्ता संघ और वार्ता परिषद की मान्यता के माध्यम से कामगारों की सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत किया गया है और इसे सांविधिक बनाया गया है। दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का प्रावधान विवादों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करेगा।

(ग): चारों श्रम संहिताएँ, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020, दिनांक 21.11.2025 से पूरे देश में लागू हो गई हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अभी भी चारों श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र द्वारा पूर्व-प्रकाशित नियमों की संहितावार स्थिति इस प्रकार है:

क) मजदूरी संहिता, 2019: 34
ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: 35
ग) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: 34
घ) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020: 35

(घ) और (ङ): औद्योगिक संबंध संहिता में निश्चित अवधि रोजगार (एफटीई) का प्रावधान शामिल किया गया है, जिससे कामगारों को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे कामगार समान कार्य करने वाले स्थायी कर्मचारियों के समान सभी लाभों के हकदार हैं। इस प्रावधान से संविदाकरण में कमी आने, रोजगार क्षमता बढ़ने और कामगारों की आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद है। वे पांच साल के बजाय सिर्फ एक साल बाद ही ग्रेच्युटी के पात्र हो जाते हैं।

सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 करने से रोजगार को औपचारिक रूप देने, प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने में मदद मिलेगी।

संहिता में छंटनी से पहले पूर्व सूचना देने और छंटनी किए गए कामगार को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर छंटनी मुआवजा देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास के लिए 15 दिनों का वेतन भी दिया जाएगा।

जारी/-3--

कामगारों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा से संबंधित श्रम संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- न्यूनतम मजदूरी संगठित या असंगठित, सभी क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार बन गई है।
- एक नया न्यूनतम वेतन (फ्लोर वेज) लागू किया गया है।
- समय पर भुगतान और अनधिकृत कटौतियों पर रोक के नियम अब सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
- सभी कामगारों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य दशाएं।
- वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान और सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करके रोजगार को औपचारिक रूप देने का प्रावधान।
- छंटनी किए गए कामगारों के लिए कामगार पुनर्कौशल निधि का प्रावधान।
- महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा के अध्यधीन, रात्रि में और सभी प्रकार के कार्यों और प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति है।
- 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कवरेज।
- ईएसआईसी के तहत लाभ उन प्रतिष्ठानों पर भी अधिसूचना के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं जो किसी जोखिमपूर्ण या जानलेवा व्यवसाय से जुड़े हों और जिनमें एक भी कर्मचारी कार्यरत हो।
- ईएसआईसी या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से असंगठित कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान करना।
- असंगठित कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए योजनाएं बनाने हेतु एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना।

*****